फर्द अहकाम

(नियम–26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री राजेन्द्र पुरोहित निवासी बून्दी रोड़, चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 47/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/06/20	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री राजेन्द्र पुरोहित निवासी बून्दी रोड़, चित्तौड़गढ़ ने सूचना प्राप्ति हेतु एक आवेदन दिनांक 25.05.2020 को लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत किया। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थी को उक्त आवेदन से चाही गई सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत होने से 30 दिवस की अवधि निर्धारित है। अपील के साथ संलग्न सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आवेदन पर दिनांक 25.05.2020 अंकित है तथा 25.05.2020 के प्रस्तुत आवेदन पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु अभी तक 30 दिवस की अवधि समाप्त नहीं हुई है। निष्कर्षतः अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् अपील प्रस्तुत करने के परामर्श के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (मुहर) (चेतन देवड़ा) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official